सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
चैत्र 10, सोमवार शाके 1942- मार्च 30, 2020	
Chaitra 10, Monday , Saka 1942- March 30, 2020	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 27, 2020

No. F. 2(17)Vidhi/2/2020.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 26th day of March, 2020 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT (AMENDMENT) ACT, 2020

(Act No. 10 of 2020)

(Received the assent of the Governor on the 26th day of March, 2020)

An

Act

further to amend the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Urban Improvement (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- After the existing clause (xi) and before the existing clause (xii) of sub-section (1) of section 2 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"(xi-a) "zonal development plan" means a plan prepared and approved in the manner as may be prescribed;".

3. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- For the existing section 4 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**4. Contents of master plan.-**The master plan shall define the various zones into which the urban area having the population of more than one lac may be divided for the purposes of its improvement and indicate the manner in which the land in each zone is proposed to be used and shall serve as a basic pattern of framework within which the improvement schemes and the zonal development plans of the various zones may be prepared:

Provided that the preparation of zonal development plan shall not be mandatory for urban areas having population of less than one lac.".

विनोद कुमार भारवानी,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2020

संख्या प.2(17)विधि/2/2020.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2020 (एक्ट नं. 10 ऑफ 2020)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 10)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2020 को प्राप्त हुई)

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (xi) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xii) से पूर्व, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(xi-क) "जोन विकास योजना" से ऐसी योजना अभिप्रेत है जो विहित रीति से तैयार और अनुमोदित की जाये;"।

3. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**4. मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु.-** मास्टर प्लान में ऐसे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेंगे जिनमें एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्र को उसके सुधार के प्रयोजनों के लिए विभाजित किया जा सकेगा तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी जिससे प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है और उस ढ़ांचे के, जिसमें विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें और जोन विकास योजनाएं तैयार की जायें, आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आयेगा:

परन्तु एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों के लिए जोन विकास योजना तैयार करना आज्ञापक नहीं होगा।"।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।